न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 71/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00242

उनवान

वनवारी पुत्र जालिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मोरीपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रघुवीर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम चन्द्रावली हाल आबाद नगला भुम्मा तहसील खैरागढ जिला आगरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सरमथुरा वहैसियत भू स्वामी।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2018 प्रकरण संख्या 04/2018 उनवान वनवारी बनाम रामगोपाल, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री जानकीप्रसाद अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–20.12.2021

यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय दिनांक 27.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 10 कुल रकबा 2.54 है0 स्थित है। उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार फूल सिंह पुत्र बन्नू सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मोरीपुरा पटवार मंडल बरौली जिला धौलपुर था। काश्तकार फूल सिंह का देहांत दिनांक 13.08.2016 को हो गया जिसने अपने जीवनकाल में ही विवादग्रस्त आराजीयात बाबत् एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.09.2015 को ही वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में कर दी थी। अतः उक्त वसीयत के आधार पर विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अभिभाषक अपीलाण्ट सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पो0 द्वारा जरिये राजीनामा विवादित आराजी पर अपना कोई हक नहीं माना जाकर, वसीयत के आधार पर दावा वादीगण/अपीलाण्ट स्वीकार करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी प्रतिवादी/रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई पूर्व हक नजर नहीं आता है, अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी/अपीलाण्ट का दावा डिक्री करना चाहिये था। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में मात्र यह अंकित किया है कि गुणावगुण के आधार पर प्रकरण को खारिज किया जाता है। परन्तु गुणावगुण पर उनके द्वारा कौनसे दस्तावेजो को देखा गया, एवं किस प्रकार गुणावगुण पर वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में दावा सिद्ध नहीं होता है, कोई विवेचना नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये, वादी/अपीलाण्ट का दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट वसीयतनामा के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तकरण अपने पक्ष में कराना चाहता है। हमने मनन किया। प्रथम तो वादी/अपीलाण्ट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे साबित होता हो कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। द्वितीय वादी/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति जिसका विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार ही नहीं है के विरूद्ध दावा दायर किया गया है एवं उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। उक्त कथित राजीनामा के आधार पर वादी/अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। क्योंकि विवादित आराजी के ना तो अपीलाण्ट खातेदार हैं एवं ना ही उनका विवादित आराजी में कोई पूर्व हक ही है। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट ने उक्त दावे में वसीयतकर्ता के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। हम यह भी पाते हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा नम्बर 454 बाबत् भी खातेदारी अधिकार चाहे हैं। परन्तु वसीयत में उक्त खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 33 में विवादित आराजी के अलावा अन्य खसरा नम्बर 494, 495, 496, 498, 499, 500 भी फूल सिंह पुत्र बच्चू सिंह की खातेदारी में दर्ज है। वादी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर बाबत् दावे में कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि फूल सिंह का सही में देहान्त हो गया है तो उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में किसकी खातेदारी में दर्ज है। लिहाजा वादी/अपीलाण्ट द्वारा दावा स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दाबानो)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–71/2018 (223 आर.टी.एक्ट.)

बनवारी पुत्र जालिमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मोरीपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....**अपीलांट।**

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रघुवीर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम चन्द्रावली हाल आबाद नगला भुम्मा तहसील खेरागढ जिला आगरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा वहैसियत भूस्वामी।

..... **रेस्पोडेंट।**

अपील विरूद्व निर्णय आदेश दिनांक 27.03.2018 प्रकरण संख्या 04/18 उनवान बनवारी बनाम रामगोपाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री जानकीप्रसाद मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अधिवक्ता अनुपथित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि..अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....20.....माह.....12.....सन्.....2021.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।